—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव
राजस्व प्रकरण संख्या :— 10/2024

उनवान

रघुनाथ पुत्र सुजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा, नसीराबाद
—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिक्ता श्री गोरधन गुर्जर

बनाम

1. गोविन्द
2. शिवराज पि. जगन्नाथ समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मोडी, नसीराबाद
3. दिनेश पुत्र रामदेव
4. रामदेव पुत्र नानू
5. मुकेश पुत्र रामदेव
6. शिमला पुत्री रामदेव समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेंरा, नसीराबाद
7. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 7 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

8. केसर पुत्री भैरू (फौत तर्क)
9. भूरी पत्नी सुजा
10. रामनाथ पुत्र सुजा समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थी :— 9 व 10 अनुपस्थित

<u>प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :—

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 3288/1980 रकबा 1.07 की आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी वर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1982 अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व खसरा नम्बर 1988/2813 सिवायचक का उपयोग करते है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अतः प्रार्थी को उत आराजी में से 18 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 9 से 10 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 3288/1980 रकबा 1.07 प्रार्थी [illegible] अप्रार्थी

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:15:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

संख्या 8 से 10 की संयुकत खातेदारी का है। खसरा नमबर 1982 रकबा 0.75 अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी में है। हाल खसरा नम्बर 1988/2813 रकबा 0.25 सिवायचक है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 3288/1980 पर आवागमन हेतु कोई भी लघुतम/दीर्घतम मार्ग उपलब्ध नही है। मौके पर लवेरा से मोडी ग्रामीण मार्ग पर खसरा नम्बर 1988/2813 व 1982 से होते हुये कच्चा मार्ग उपलब्ध है। खसरा नम्बर 1982 में से आवेदक द्वारा मार्ग हेतु आवश्यक रकबा जरियें पंजीकृत विकय पत्र कय कर लिया है। मार्ग की आत्यंतिक आवश्यता भी बतायी गयी है।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नमबर 1982 रकबा 0.75 में अप्रार्थी रघुनाथ से उसका हिस्सा कय कर लिया है। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी भी सह खातेदार हो गया है। अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 3288/1980 पर आवागमन हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 1988/2813 में तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार 106 मीटर लम्बा व 5.5 मीटर चौडा कुल 585 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु दिया जाना न्यायोचित है। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर कोई खण्डन पेश नही किया है। रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है। मौका रिपोर्ट में कोई विपरित तथ्य अंकित नही है। प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसारः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम लवेरा के हाल खसरा नमबर हाल खसरा नम्बर 1988/2813 रकबा 0.25 में से 106 मीटर लम्बा व 5.5 मीटर चौडा कुल 585 वर्ग मीटर रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले 30072/ अक्षरे तीस हजार बहतर रूपये राजकोष में भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:15:56 IST
Reason: SelfAttested